

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नाथद्वारा, जि. राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी दीपिका विपक्षी सूरवीर सिंह कोश्य
 किस्म मुकदमा वाद पत्रावली संख्या 132/18 पव.....

| क्रमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|----------|--|--|
| 25.06.19 | <p>वादी मय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा पत्रावली तलबी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पत्रावली सिंगे से तलब होकर पेश हुई। तहसीलदार नाथद्वारा से प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट अनुसार अधिवक्ता वादी विभाजन प्रस्ताव से सहमत है।</p> <p>अतः राजस्व ग्राम बैरण तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2070-73 की आराजी सं. 706 मी. रकबा 1-07 बीघा लगान - आराजी सं. 708/3 रकबा 03-01 बीघा लगान 0.61 कुल आराजी कित्ता 02 कुल रकबा 4-08 बीघा कुल लगान 0.61 वैभव पिता देवीशंकर जोशी ब्राह्मण सा. उदयपुर आराजी सं. 706/1 रकबा 3-01 बीघा लगान - सूरवीरसिंह कमलेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मण राजपूत एवं आराजी सं. 708/2 रकबा 1-08 बीघा लगान 0.28 आराजी सं. 708 मी. रकबा 09-04 बीघा लगान 1.44 कुल आराजी कित्ता 02 कुल रकबा 10-12 बीघा कुल लगान 1.72 सूरवीर सिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। रहन बदस्तुर दर्ज रहेगी। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अलग दरामद हो।</p> <p>वादी की ओर से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर अंतिम डिक्री जारी हो। विभाजन फेहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा।</p> <p>पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">(निशा)</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा, जिला राजसमन्द</p> | <p style="text-align: center;">देवकी जोशी</p> <p style="text-align: center;">रजसमन्द</p> |